<u>रजिस्टर्ड/सील्ड</u>

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या- 423/2026/1062/22-2-2025-17(912)/2025

लखनऊ: दिनांक: 23 अप्रैल, 2026

<u>आदेश</u>

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्घदोष बन्दी संजू सिंह(बन्दी संख्या-17492) पुत्र श्री रक्षपाल सिंह, निवासी-विजौरा, थाना-पटियाली, जनपद-कासगंज, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-294/2009 व 295/2009 में भा०द०वि० की धारा-302 व 25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा० सत्र न्यायाधीश, कासगंज के आदेश दिनांक 20.06.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। दिनांक 26.04.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 11 माह, 20 दिन तथा 17 वर्ष, 09 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या-423/2026/1062(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज

3- पुलिस अधीक्षक, कासगंज

4- अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in